केन्द्रीय विद्यालय संगठन
कें‍द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in

फ.11029-06/2013-KVS(HQ)/(Admn-I)/Vol. II   दिनांक: 09.06.2015

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 04.03.2014 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 54 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है। केन्द्रीय विद्यालय झारसंगम, जिला मेडक, तेलंगाना, उपरोक्त स्वीकृत 54 नए केन्द्रीय विद्यालयों मे से एक है।

चूंकि जिला कलेक्टर, मेडक, तेलंगाना ने भूमि का अधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष मे दे दिया है तथा उसके व्यावहारिक हस्तांतरण से पूर्व उसके, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की अधिशासी मण्डल के प्रावधानानुसार, हस्तांतरण एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रयोग संबंधी वचन-बद्धता दिनांक 07.05.2015 भी दे दी है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है:-

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	झारसंगम, जिला मेडक (तेलंगाना)	C/o मण्डल परिषद प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग झारसंगम गाँव, झारसंगम पोस्ट एवं मण्डल–502246 जिला मेडक तेलंगाना

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2015-16 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में 1 सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओ में वृद्धि होगी।

इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

(डॉ ई प्रभाकर)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:

1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव-।
2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म. एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.
3. अपर सचिव (स्कूल शिक्षा) मा.सं.वि.म. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (प्रशा./शै.) केविसं के निजी सचिव।
6. उपायुक्त, केविसं क्षे. का. हैदराबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के. वि. को संचालित करे। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय में भेजे।
7. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा) तेलंगाना सरकार।
8. जिला कलेक्टर, मेडक , (तेलंगाना)।
9. अधिक्षण अभियंता केविसं को उनकी फ़ाइल संख्या F.110111/335/2014-KVSHQ/Works के संबंध में।
10. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
11. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
12 निदेशक, के.वि.सं. समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
13. उपायुक्त ई.डी.पी. को के.वि.सं. की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
14. अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
15. गार्ड फ़ाइल।

*****